राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामजीलाल बनाम माल सिंह 292/2011 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/10/2025 को पेश हो |	
24/10/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 317/1 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा स्थित ठिकरिया है | जिसके हाल बन्दोबस्त में नये खसरा नम्बर 496/2.64 स्थित ग्राम ठिकरिया, तहसील कोटपूतली है | साबिक खसरा नम्बर 317 का वाद का ताउ सुलतान सिंह पुत्र भक्तावर सिंह राजपूत खातेदार काश्तकार काबिज था, जो नाऔलाद फौत हो गया है | जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण एक लगायत 4 है | सुलतान सिंह व सुरजन सिंह नाऔलाद फौत हो गये तथा सुलतान सिंह के मरने के बाद आराजी जेर दावा पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण हिस्सा 1/2 के तथा प्रतिवादीगण-1 लगा. 4 हिस्सा 1/2 के जायज वारिस होने के कारण खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है | प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 4 का अकेले का आराजी जेर दावा से कोई ताल्लुक वास्ता नही है परन्तु वे राजस्व कर्मचारीयो से साज करके वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से की 1/2 भूमि पर भी अपना नाम दर्ज करवा लिया | वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को जानकारी होने पर प्रतिवादीगण से रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत कहा परन्तु पहले वे टालमटोल करते रहे एवं साफ़ इनकार हो गये, जिस कारण यह वाद घोषणात्मक एवं बंटवारा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है | वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि एक किता डिक्री घोषणात्मक वादी के पक्ष में तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 4 के विरुद्ध इस आशय की प्रदान की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 496/2.64 वाके मौजा ठिकरिया तहसील कोटपूतली का वादी हिस्सा 1/4 व तरतीबी प्रतिवादीगण हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 4 मय अभिभाषक उपस्थित आये एवं जवाब वाद प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में तनकियात कायम किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 30/06/2011 को तनकीवार निर्णय व डिक्री	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	292/2011 रामजीलाल बनाम माल सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 496/2 64 स्थित ग्राम ठिकरिया तहसील कोटपूतली में वादी को हिस्सा 1/4 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण रामचन्द्र सिंह के वारिसान तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार काबिज घोषित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर हिस्सा अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत समस्त साक्ष्य-सबूत, दस्तावेजात का परिक्षण कर तनकीवार विस्तुत विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत नही होता है | अत: अधोनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30/04/2011 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार कर खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 24/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |